

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0संख्या-17/विविध-01-157/2025-

पटना, दिनांक :- / / 2026

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को अगले आदेश तक के लिए स्तम्भ-04 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र0सं0	नाम/पदनाम	विभाग/वर्तमान पदस्थापन संस्थान का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	डा0 संदीप प्रसाद लाल, प्राध्यापक	एफ0एम0टी0 विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।	प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।


2. यह अधिसूचना दिनांक-01.04.2026 से प्रभावी होगी।
3. अधिसूचित प्राचार्य को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-9262/वि0, दिनांक-01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के अंतर्गत संबंधित संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।
4. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राचार्य के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।
6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

सं0संख्या-17/विविध-01-157/2025-384(17)

पटना, दिनांक :- 26 / 03 / 2026

- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी